## <u>न्यायालय:- पंक्रज क्रुमा२, द्वितीय व्यवहा२ न्यायाधीश वर्ग-१ बैंतूल</u> <u>जिला-बैंतूल (म.प्र.)</u>

बिसना वल्द सरूप उम्र 73 वर्ष, जाति गोंड नि. खकरा कोयलारी, पो. रानीपुर तह. घोडाडोंगरी, जिला— बैतूल (म0प्र0)

.....<u>वादी</u>

## विरूद्ध

- तुलसीराम पिता बिसना उम्र 46 वर्ष,
  नि. खकरा कोयलारी पो. रानीपुर,
  तह. घोडाडोंगरी जिला बैतूल (मध्यप्रदेश)
- 2. म.प्र. शासन, द्वारा कलेक्टर बैतूल

.....प्रतिवादीगण

## !! आदेश !!

## <u>(आज दिनांक 17/05/2017 को पारित)</u>

- (1) इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपिटत धारा 151 व्यप्रसं आई ए नं 1 का निराकरण किया जा रहा है।
- (2) संक्षेप में वादपत्र अभिवचन इस प्रकार है कि वादी एवम् प्रतिवादी आपस में पिता—पुत्र है। वादी द्वारा दिनांक 24—03—1976 को वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर— 145 रकबा 8.680 हे. मौजा खकरा कोयलारी तहसील व जिला बैतूल विकेता ओझा एवम् दशमाबाई से 2004/—रूपये में पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से प्रतिवादी के नाम से कय की गई थी तथा वादी कय दिनांक से ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है जिस समय भूमि कय की गई थी, उस समय प्रतिवादी अवयस्क था और कोई

कार्य भी नहीं करता था और न ही वह वादी के कार्यों में कोई सहयोग ही करता था। वादी की प्रतिवादी के अलावा पांच पुत्रियां भी है, जिनका विवाह हो चुका है और वे ससुराल में रहती है। वादग्रस्त भूमि प्यार व दुलार के कारण पुत्र प्रतिवादी के नाम पर क्रय की गई थी। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर वादी का ही कब्जा है और वह काश्त करता है। प्रतिवादी वादी से अलग अपने परिवार के साथ रहता है और मेहनत, मजदूरी करता है। वादी द्वारा प्रतिवादी के नाम पर वादग्रस्त भूमि क्रय किये जाने के कारण राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी का नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि की ऋण–पुस्तिका आदि वादी के पास ही हैं, जिन्हें प्रतिवादी प्राप्त करना चाहता है और वादग्रस्त भूमि को भी विक्रय करना चाहता है। दिनांक 30-09-2015 को प्रतिवादी ने सारणी के एक व्यक्ति को वादग्रस्त जमीन विक्रय करने के आशय से दिखाने के लिये लाया भी था। प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि विकय करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वत्व की घोषण, वादी के आधिपत्य में प्रतिवादी दखल न देवे एवम् वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी किसी को विक्रय न करे, की स्थायी निषेधाज्ञा हेत् दावा पेश करते हुये इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है कि प्रतिवादी वाद के निराकरण तक वादी के आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि में कोई हस्तक्षेप न करे और न ही वादग्रस्त भूमि किसी को विक्रय करे। वादी द्वारा आवेदन पत्र के समर्थन में स्वयं का एवम सदल का शपथ पत्र पेश किया गया है।

- (3) प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक—2 मध्यप्रदेश शासन औपचारिक पक्षकार है, उसके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया।
- (4) प्रतिवादी क्रमांक—1 ने आवेदन पत्र का विरोध स्वरूप जवाब पेश करते हुये अभिकथित किया है कि वादग्रस्त भूमि उसके दादा स्वरूप द्वारा कृषि एवम् फलदार वृक्षों की अर्जित आय से उसके नाम से क्य की थी। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के आधिपत्य में है और उसके द्वारा ही काश्त कर अपना जीवन—यापन किया जा रहा है। वादी शासकीय नौकरी करता था, फण्ड एवम् ग्रेज्यूटी की समस्त राशि उसने अपनी अय्याशी के जीवन में व्यय कर दिया और पैसे समाप्त होने के बाद उसकी पुत्री एवम् जवाई के द्वारा मारपीट कर भगा दिया गया, उसकी पुत्री एवम् दामाद कहते हैं कि परिवादी के पास जो भूमि है, उसको भी विक्रय करो नहीं तो अपने नाम से

करवाओं अन्यथा उनके पास नहीं आना, इसके बाद वादी ने विवश होकर प्रतिवादी के विरूद्ध धारा 125 दंप्रसं का भरण—पोषण का प्रकरण पेश किया था, जो वर्तमान में न्यायालय में लंबित है। वादग्रस्त भूमि पर वादी को कोई हक नहीं है, यदि वादग्रस्त भूमि वादी के नाम पर दर्ज हो गई तो उसे भी वह विक्रय कर देगा। इस प्रकार प्रतिवादी क. 1 द्वारा दावा एवम् आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी द्वारा आवेदन पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया है।

- (5) अस्थायी निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पत्र के निराकरण के लिये तीन बिंदुओं पर विचार किया जाना आवश्यक होता है :--
  - 1- क्या वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण है ?
  - 2- क्या सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है ?
  - 3-क्या अपूर्णीय क्षति का बिंदु आवेदक के पक्ष में है ?
- (6) उपरोक्त तीनों बिंदुओं पर विचार सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है ताकि साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो।
- (7) वादी ने अपने अभिवचनों में बताया है कि वादग्रस्त खसरा नंबर—145 रकबा 8.680 हे. मौजा खकरा कोयलारी तहसील व जिला बैतूल उसके द्वारा प्रतिवादी के नाम पर प्यार और स्नेहवश क्य की गई थी, संपूर्ण प्रतिफल की राशि उसके द्वारा ही अदा की गई थी। जिस समय भूमि क्य की गई थी उस समय प्रतिवादी कोई काम—धाम नहीं करता था, मात्र प्रेम और स्नेह के नाम पर प्रतिवादी के नाम पर भूमि क्य की थी। वर्तमान में भूमि का आधिपत्य वादी के पास ही है और वह ही काश्त कर रहा है। जबिक प्रतिवादी ने इस संबंध में अभिकथित किया है कि वादग्रस्त भूमि उसके दादा स्वरूप ने उनकी स्वयं की आय से प्रतिवादी के नाम पर क्य की थी, क्य दिनांक से ही वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का आधिपत्य चला आ रहा है। वादी नौकरी करता था उसे जो राशि मिली वह सब खर्च कर चुका है। वादी प्रतिवादी की भूमि हड़पना चाहता है इस हेतु दावा उसने पेश किया है।

- वादग्रस्त भूमि से संबंधित वादी द्वारा राजस्व अभिलेख पेश किये गये हैं। दिनांक 24-03-1976 के प्रस्तृत विक्रय पत्र से यह दर्शित होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के नाम पर क्रय की गई है उससे संबंधित खसरा एवम् किश्तबंदी पेश किया गया है जिसमें कब्जेधारी एवम स्वामी की हैसियत से प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम दर्ज है। इस संबंध में वादी ने अभिकथित किया है कि वास्तव में वादग्रस्त भूमि वादी द्वारा क्रय की गई थी, प्रतिफल की राशि भी उसके द्वारा ही अदा की गई, हालांकि विक्रय पत्र के अवलोकन से यह कही दर्शित नहीं होता है कि प्रतिफल राशि वादी द्वारा ही अदा गई हो। प्रतिवादी द्वारा यह अभिकथित किया गया कि विक्रय की प्रतिफल की राशि प्रतिवादी के दादा स्वरूप द्वारा दी गई है। हालांकि इस प्रश्न का निराकरण साक्ष्य लिये जाने के उपरांत मामले के गूण-दोषों पर ही किया जा सकता है न कि वर्तमान स्तर पर, चूंकि वादी ने यह अभिकथित किया है कि प्रतिफल राशि उसके द्वारा अदा की गई है। वादग्रस्त भूमि खरीदने के समय प्रतिवादी अवयस्क था और उस भूमि पर वादी द्वारा स्वत्व की उदघोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा हेत् दावा पेश किया गया है। इस प्रकार वादी का पक्ष प्रथम दृष्टया प्रकरण में पाया जाता है।
- (9) वादी द्वारा उसके आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि में वाद के अंतिम निराकरण तक हस्तक्षेप न करने की अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है परन्तु राजस्व अभिलेखों के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य प्रतिवादी का प्रथम दृष्टया दर्शित होता हैं क्योंकि खसरा इत्यादि जब तक अन्यथा न प्रमाणित कर दिया जावे, कब्जा वगैरह के संबंध में प्रथम दृष्टया सबूत होते हैं। राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रतिवादी का आधिपत्य वादग्रस्त भूमि पर दर्शित होता है ऐसी दशा में वादी के बे—कब्जा किये जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है और सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति का बिंदु कब्जे के संबंध में वादी के पक्ष में दर्शित नहीं होता हैं।
- (10) वादी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से यह सहायता भी चाही गई है कि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने की फिराक में है, अतः वाद के अंतिम निराकरण तक प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि विक्रय करने से भी रोका जावे। राजस्व अभिलेखों

में वर्तमान में भूमिस्वामी की हैसियत से प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम दर्ज है यदि भविष्य में दावा वादी के पक्ष में होता है तो वाद के लंबित रहने के दौरान यदि वादग्रस्त भूमि विक्रय कर दी जाती है तो निश्चित ही प्रकरण में वाद बाहुल्यता बढ़ेगी और वादी को निश्चित ही क्षति का सामाना करना पड सकता है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत <u>आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 आई.ए.नं.-1</u> आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी क्मांक-1 को निर्देशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि प्रकरण के अंतिम निराकरण तक विकय, रहन, किसी भी प्रकार से हस्तांतरित न करे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर हस्ताक्षरित किया गया ।

मेरे निर्देश में टंकित किया गया ।

(पंकाज क्रुमा२)

(पंकाज क्रुमा२)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-१, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-१ बैतुल बैतुल